

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
समक्ष : मनोज गोयल,
अध्यक्ष

(103)

प्रकरण क्रमांक पीबीआर/निगरानी/भोपाल/भू.रा./2017/3640 विरुद्ध आदेश
दिनांक 30-6-2017 पारित द्वारा तहसीलदार राज0परि0टी0टी0नगर वृत्त भोपाल,
प्रकरण क्रमांक 4/अ-68/2016-17

.....
जागरण सोशल वेलफेर सोसायटी,
33 जागरण भवन, प्रेस काम्प्लेक्स, जोन-1,
एम.पी.नगर, भोपाल
द्वारा हरिमोहन गुप्ता आत्मज स्व0श्री गुरुदेव गुप्त

..... आवेदक

विरुद्ध

1—मध्यप्रदेश शासन
द्वारा अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)
राज0परि0टी0टी0नगर भोपाल

2—तहसीलदार
राज0परि0टी0टी0नगर भोपाल

..... अनावेदकगण

.....
श्री सी0एम0रावतिया, अभिभाषक—आवेदक

:: आदेश ::
(आज दिनांक 15/11/17 को पारित)

यह निगरानी आवेदक द्वारा मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 (जिसे
आगे संक्षेप में केवल “संहिता” कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत तहसीलदार
राज0परि0टी0टी0नगर वृत्त भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 30-6-2017 के
विरुद्ध प्रस्तुत की गई है।

.....

.....

2/ प्रकरण के तथ्य सन्क्षेप में इस प्रकार है कि लोकायुक्त जॉच प्रकरण क्रमांक 41/2016 के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) टी०टी०नगर भोपाल द्वारा दिनांक 4-3-17 को आदेश पारित कर सीमांकन दल का गठन किया जाकर ग्राम चन्दनपुरा रिथित भूमि सर्वे क्रमांक 73, 84 एवं 92 का सीमांकन किया जाकर 15 दिवस में सीमांकन प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु आदेशित किया गया तदनुसार सीमांकन दल द्वारा प्रश्नाधीन भूमियों का सीमांकन किया जाकर प्रतिवेदन तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत किया गया। तहसीलदार द्वारा उक्त प्रतिवेदन के आधार पर 30-6-2017 को प्रकरण पंजीबद्ध कर आवेदक को कारण बताओं सूचना पत्र जारी किया गया। तहसीलदार के इसी कारण बताओं सूचना पत्र के विरुद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि सीमांकन पंचनामा में स्पष्ट उल्लेख है कि सीमांकन समाप्ति के उपरांत मौके पर पंचगणों को आहूत किया गया इस आधार पर कहा गया कि कि पंचगणों की उपस्थिति में प्रश्नाधीन भूमि का सीमांकन नहीं किया गया। यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि पंचनामे से यह स्पष्ट है ए०टी०एस० मशीन से सीमांकन करने के पश्चात् दस्तावेज व मौके की रिथित पंचगणों को बताई गई अर्थात् पंचगण के सामने प्रश्नाधीन भूमि का सीमांकन ही नहीं है। तर्क में यह भी कहा गया कि सीमांकन दिनांक 1-5-17 को किया जाकर सीमांकन पंचनामा तैयार किया गया है जबकि फील्डबुक दिनांक 5-12-17 को तैयार की गई है जबकि दिनांक 5-12-17 की तिथि अभी आई ही नहीं है। यह यह मान भी लिया जाये कि फील्डबुक 12-5-17 को तैयार की गई है तब भी सीमांकन दिनांक को फील्डबुक तैयार नहीं की गई है। यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदक द्वारा सर्वे नम्बर 83/2 रकबा 12.00 एकड़ पंजीकृत विक्रय पत्र वर्ष 2008 से क्य की जाकर राजस्व अभिलेखों में उसका नामान्तरण भी हो गया है और शासकीय भूमि पर आवेदक का अवैध कब्जा सीमांकन प्रतिवेदन में दर्शाया गया है, परन्तु सीमांकन पर उसे किसी प्रकार की कोई सूचना नहीं दी गई है। यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि पंचनामा में ब्रुटिपूण ढँग से फैज मोहम्मद लीगल एडवाईजर को आवेदक की ओर


00-

से उपस्थित होना बतलाया गया है जबकि आवेदक की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ है। यह भी कहा गया कि सीमांकन कार्यवाही में पड़ोसी कृषकों को किसी प्रकार की कोई सूचना नहीं दी गई है और स्थायी सीमाचिन्हों से सीमांकन नहीं किया गया है। उनके द्वारा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश निरस्त किया जाकर निगरानी स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया गया।

4— प्रकरण में उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया तथा आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया। सीमांकन प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि राजस्व निरीक्षक द्वारा विधिवत् हितबद्ध पक्षकारों को सूचना नहीं दी जाकर प्रश्नाधीन भूमि का सीमांकन किया गया है, क्योंकि अभिलेख में पक्षकारों को नोटिस जारी किये जाने का प्रमाण उपलब्ध नहीं है। सीमांकन प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि सीमांकन प्रतिवेदन के अनुसार सीमाओं का क्रॉस चैक नहीं किया गया है। इस प्रकरण में यह विधिक एवं न्यायिक आवश्यकता है कि तहसीलदार द्वारा पारित आदेश दिनांक 30-6-2017 निरस्त किया जाकर प्रकरण तहसीलदार को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाये कि वे प्रकरण में विधिवत् पक्षकारों को सूचना एवं सुनवाई का अवसर देते हुये सीमांकन की कार्यवाही करें।

5— उपरोक्त विवेचना के आधार पर तहसीलदार राज०परिठ०ठ०नगर वृत्त भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 30-6-2017 निरस्त किया जाकर प्रकरण इस निर्देश के साथ तहसीलदार को प्रत्यावर्तित किया जाता है कि वे प्रकरण में विधिवत् पक्षकारों की उपस्थिति में सीमांकन की कार्यवाही कर अग्रिम कार्यवाही करें।

6/ यह आदेश प्रकरण क्रमांक पीबीआर/निगरानी/भोपाल/भू.रा. /2017/4306 (दीपा गुप्ता पत्नी श्री हरिमोहन गुप्ता विरुद्ध मध्यप्रदेश शासन) पर भी लागू होगा। अतः इस आदेश की एक मूल प्रति उक्त प्रकरण में संलग्न की जाये।



(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
गवालियर